न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 03/2019
तारीख निर्णय– 30/10/2019

प्रार्थी :–

1. तलसी पुत्री उदाजी पत्नी लादारामजी जाति–जणवा चौधरी निवासी–नारलाई, हाल अणेवा तहसील–देसूरी जिला–पाली
2. फुलीदेवी पुत्री उदाजी पत्नी वागारामजी जाति–जणवा चौधरी निवासी–नारलाई, हाल–आना तहसील–देसूरी जिला–पाली
3. गजरो पुत्री उदाजी पत्नी वालारामजी जाति–जणवा चौधरी निवासी–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: **बनाम** :–

अप्रार्थीगण–

1. ढलाराम पुत्र उदाजी जाति–जणवा चौधरी
2. नत्थाराम पुत्र नेमारामजी जाति–जणवा चौधरी
3. पुनाराम पुत्र नेमाराम जाति–जणवा चौधरी
4. जेताराम पुत्र नेमाराम जाति–जणवा चौधरी
5. मुलकी पुत्री खेताजी जाति–जणवा चौधरी

तमाम निवासीगण–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट, 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से– वकील दिनेश कुमार माली।
2–अप्रार्थीगण संख्या–2 से 4 की ओर से वकील मुकेश श्रीमाली।
3– अप्रार्थीगण संख्या 1 व 5 की ओर से शंकर लाल मीणा।

–: **निर्णय** :– दिनांक 30.10.2019

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गांव नारलाई पटवार क्षेत्र नारलाई तहसील–देसूरी में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 2488 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 2489 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 2490 रकबा 0.9200 हैक्टर, खसरा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नम्बर 2491 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2492 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2494 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2495 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 2497 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2498 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 2499 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2500 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 2501 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2502 रकबा 1.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.7900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2504 रकबा 1.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2507 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 2508 रकबा 1.1500 हैक्टर खसरा नम्बर 2509 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा नम्बर 2514 रकबा 1.4500 हैक्टर, खसरा नम्बर 2515 रकबा 1.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2516 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2517 रकबा 0.6600 हैक्टर कुल खसरा 23 कुल रकबा 16.7300 हैक्टर कुल लगान 232.30 रूपये की प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण के सयुक्त कब्जे काश्त, पुश्तैनी सहखातेदारी हक की बेरा सुथारो वाला की कृषि भूमि स्थित है। इस वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के मूल खातेदार स्वर्गीय गलाजी थे, जिनके वारीसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 है।गजाली के स्वर्गवास के बाद उनके वारीसान दोनो पुत्र खेतिया उर्फ खेताराम व भिकिया वारीसान थे। खेतारामजी को वादग्रस्त आराजी मे निहित 1/6 हिस्से की आराजी मे उनके पुत्र नेमा को 1/12 और उदाजी को 1/12 वा के हक अधिकार निहित हुए। भिकिया का अविवाहित और नाऔलाद स्वर्गवास होने से उनके तमाम खातेदारी अधिकारी वारीसान भाई खेताराम मे निहित हुए, जो कि वादग्रस्त आराजी का 1/6 हिस्सा था। खेतारामजी के वारीसान नेमा, उदा और मुलकी मे बराबर बराबर निहित हुए, जिसमे मूलकी को 1/18 वा हिस्सा के और उदाजी को 1/12+1/18 =5/36 वां हिस्सा के तथा नेमाजी को 1/12+1/18 =5/36 वां हिस्सा के सहखातेदारी हक अधिकार निहित हुए है। वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार मुलकी पुत्री खेताजी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 03.10.2018 को वादग्रस्त आराजी मे निहित 1/18 हिस्सा के हक त्याग करने से स्वर्गीय नेमा और उदा के वारीसान में निहित हुए। अतः मुलकी को वादग्रस्त आराजी मे निहित 1/18वां हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा के हक अधिकार नेमा के वारीसान में और 1/2 हिस्स्सा के हक अधिकार उदा के वारिसान में निहित हुए।इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक को 5/144+1/144=6/144 (1/24) वा हिस्सा के हक अधिकार निहित हुए ळै इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी में 1/24 वा हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 2 से 4 प्रत्येक को 5/108+1/108=6/108 (1/18) वां हिस्सा के हक अधिकार सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में निहित है। अप्रार्थी संख्या 5 मुलकी द्वारा निष्पादित हक त्याग विलेख में मात्र अप्रार्थी का नाम लिखा देने से नाजायज लाभ प्राप्त करने की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नियत से प्रार्थीगण को धमकिया दी जा रही है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विशेष अधिनियम है जिसमें खातेदारी हक अधिकारी हस्तातरण का विलेख हक त्याग विलेख नही है जिससे किसी भी सहखातेदार द्वारा अपने हक त्याग करने पर शेष रहे सहखातेदारान में हक निहित होते है, न कि किसी विशेष सहखातेदार को प्राप्त होते है, किसी विशेष सहखातेदार के पक्ष में निष्पादित हक त्याग विलेख अन्य सहखातेदारान के हक अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भतः ही शुन्य और निष्प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 5 मुलकी को वादग्रस्त आराजी में खेताजी की वारीस होने से सहखातेदारी हक अधिकार निहित हुए थे, इसलिए मुलकी द्वारा अपने हक अधिकार त्याग करने पर खेताजी के शेष रहे वारीसान में तमाम सहखातेदारी हक अधिकार निहित हुए है फिर भी अप्रार्थी द्वारा निष्पादित हक त्याग विलेख का गलत अर्थ निकालते हुए अप्राथीगण बिना किसी हक अधिकारीता के प्रार्थीगण को दिनांक 28.12.2018 से एलानियां धमकिया देकर वादग्रस्त आराजी को मनमाफिक खुर्द बुर्द कर नष्ट करने और प्रार्थीगण को बेदखल करने, अजनबी को बेचान करने इत्यादी की धमकिया दे रहे है। अतः प्रत्येक प्रार्थी के निहित 1/24 –1/24 हिस्सा के सहखातेदारी हक अधिकारो की आराजी को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नष्ट नही करें किसी अजनबी को बेचान हस्तातरण नही करें, रहन या गिरबी नही रखें, भारग्रस्त नही करें वादग्रस्त कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन नहीं करे, वादग्रस्त आराजी के भू–अधिकार अभिलेखों में रद्दोबदल नही करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण 1 व 5 की ओर से वकील श्री शंकर लाल मीणा ने तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर वकील श्री मुकेश कुमार श्रीमाली ने वकालत नामा पेश किया।अप्रार्थीगण 1 व 5 की ओर से बार बार अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही करने पर दिनांक 1.10.2019 को जवाब का अवसर समाप्त किया गया तथा वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 की ओर से दिनांक 1.10.2019 को जवाब मय फहरिस्त दस्ताबेज पेश किये।

अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जबाब इस प्रकार पेश कर निवेदन किया कि– पैरा 1 अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 5 ने अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 26.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 5 मुलकी के करने से सांक्षीगण अपने पुत्र डोवरराम व सांक्षी रमेश कुमार पुत्र पुनाजी चौधरी निवासी नारलाई की मौजुदगी मे खुदके द्वारा स्टाम्प जारी करवा कर अप्राथी संख्या 2 नथाराम पुत्र नेमाजी के नाम उपपजीयंन अधिकारी देसूरी समक्ष उपस्थित होकर हकतर्क विलेख से पजीयन करवाया है। पैरा 2 आंशिक स्वीकार है अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 हकतर्क विलेख

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

से करने पर उक्त कृषि भूमि को वादग्रस्त आराजी से संबोधन किया जाना अस्वीकार है।पैरा 3 अस्पष्ट होने से अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थी संख्या 5 मुलकी पुत्री खेताजी पत्नी चुनाजी निवासी नारलाई द्वारा पूर्व में अपना 1/18 वा हक हिस्सा बेरा सुथारो वाला का अप्रार्थी संख्या 2 नथाराम पुत्र नेमाजी को दिनांक 26.09.2018 को अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा हकतर्क कर चुकी है। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 5 मुलकी का अपना 1/18 हिस्सा बेरा सुथारो वाला कृषि भूमि में दिनांक 26.09.2018 के पश्चात बेरा सुथारो वाला कृषि भूमि में अपना न तो हक अधिकार निहित है एवं न ही बिना किसी कब्जा स्वामित्व एव हक अधिकार के यदि कोई दस्ताबेज अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा करवाए गए है तो कानुनन विधि विरूद्ध व शून्य है। तथा मुलकी द्वारा अपना 1/18 हिस्सा हकतर्क करने से उक्त कृषि भूमि वादगस्त आराजी नही कही जा सकती एवं न ही अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी 1 व अप्रार्थी संख्या 5 तथा प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा मान्य नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा कत्थर्ठ गलत, मिथ्या, व निराधार पेश किया है जिसमें प्राथीगण को सफलता के कोई आधार आसार नही है। अत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया काबिल खारिज योग्य है एवम किसी प्रकार का कोई सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है एवम प्रार्थीगण के पक्ष में कोई अपूर्णनीय क्षति के सिद्धान्त लागू नही होते है।प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है अतः प्रार्थीगण साम्यपूर्ण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। एवम कब्जे के अभाव में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में है।पैरा सख्या 3 का जवाब यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 प्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कथन कर प्रार्थना पत्र के अभिवचनों में सभी पैरायो मे भिन्नता अपने आप मे न्यायालय के सामने में संदेह व भ्रम पैदा करते है जिससे प्रार्थीगण द्वारा मात्र द्वेष, ईर्ष्या की भावना एवं बदनियति से अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की गांव मे छवि प्रतिष्ठा व साख खराब करने हेतु कहे गए है। अप्रार्थीगण संख्या 2 उक्त कृषि भूमि पर कब्जा शांतिपूर्वक होने से कृषि कार्य कर रहा है। पैरा संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण को बिना कब्जा एवं अधिकार के अप्रार्थीगण के खिलाफ वाद करने का अधिकारी नही है एवं जमीन को खुर्द बुर्द करने एवं जमीन को आगे से आगेकिसी अजनबी केता को बेचान, हस्तान्तरण करने का तथ्य एवं आठ–दस रोज से धमकिया देने का तथ्य गलत है, प्रार्थी स्वयं साबित करें। पैरा 6 गलत होने से अस्वीकार है क्योकि खातेदारी अधिकार एवं कब्जे के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से खारीज फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस के समर्थन मे निम्न लिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

1. बंशीधर बनाम हनुमान 2008(2)आर.आर.टी 850
2. ए.कृष्णाराम बनाम एम.एल. नरसिंगा राव 2003 आर.आई.आर (आर.पी)498
3. नन्दलाल बनाम देवीशंकर 2010(2)आर.डब्ल्यु.डब्ल्यु.(आर.जे.)1347
4. महाश्चन्द बनाम ओमप्रकाश 2009(2) आर.आर.टी 812
5. केसरराम बनाम रोजा खान 2012(2) आर.आर.टी 793
6. भोपालसिंह बनाम लच्छुसिंह 2012(1) आर.आर.टी 95
7. रामपाल यादव बनाम मेजर राघवेन्द्र 2005 (1) आर.आर.टी 106

इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी में प्रत्येक आराजी में 1/24 –1/24 वां हिस्सा का दावा पेश किया है जो कि विरासत से हक प्राप्त हुआ है। जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया मूलकी ने अपना हकतर्क दिनांक 26.09.2018 को नत्थाराम पुत्र नेमा के नाम से किया है और प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काष्त एवं अधिकार प्राप्त नही है। उक्त तथ्या का विवेचन करने पर प्रथम दृष्टया मामला में बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थीगण वकील द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि खातेदारी हक अधिकार हस्तातरण का विलेख नही है, जिससे किसी भी सहखातेदार द्वारा अपने हक त्याग करने पर शेश रहे सहखातेदारान में हक निहित होते है न कि किसी विषेश सहखातेदार को प्राप्त होते है। जबकि वकील अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि बिना कब्जा एवं अधिकार के अप्रार्थीगण के खिलाफ वाद करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण संख्या 2 का वादग्रस्त आराजी में कब्जा निर्बाध रूप से किसी दखलन्दाजी के चला आ रहा है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है। उक्त तथ्यों को विवेचन करने पर उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। प्रार्थी के वकील द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त आराजी को मनमाफिक खुर्द बुर्द कर देते है या अजनबी क्रेता को बेचान हस्तातंरित कर देते है तो वाद की बाहुल्यता बढेगी, वाद विवाद बढेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति रूपयों पैसों मे नही की जा सकती है। जबकि वकील अप्रार्थीगण ने बह समे कथन किया कि बिना कब्जा काष्त एवं अधिकार के अप्रार्थीगण के खिलाफ वाद करने का अधिकार नही है तो प्रार्थी को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति नही होगी। जिसकी भरपाई रूपयों पैसो से नही की जा सके। उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेष का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेष आज दिनांक– 30/10/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2019.11.13 15:25:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: